रजिस्टर्ड नं०-एडी०-4
लाइसेन्स सं०-डब्ल्यू०पी०-41
(लाइसेन्स्ड टू पोस्ट बिदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 77] प्रयागराज, शनिवार, 26 अगस्त, 2023 ई० (भाद्रपद 04, 1945 शक संवत्) [संख्या 34

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०
भाग 1-- विज्ञप्ति--अवकाश, नियुक्ति, स्थान--नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	543--570	3075
भाग 1--क-- नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1003--1020	1500
भाग 1--ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1--ख (2)--श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2--आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3--स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क--नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख--नगर पंचायत, खण्ड ग--निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ--जिला पंचायत	299--334	975

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु०
भाग 4-- निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	43--314	975
भाग 5--एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6--(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6--क--भारतीय संसद के ऐक्ट		975
भाग 7--(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7--क--उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7--ख--इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8--सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	429--441	975
स्टोर्स--पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

छायाप्रति प्रमाणित

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत, उन्नाव

कार्यालय, जिला पंचायत, उन्नाव

उपविधि

21 अप्रैल, 2023 ई०

ईंट भटठ्।

सं0 1194/21ए-08/2020-21–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-143 के साथ पठित धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, उन्नाव अपने नियंत्रणाधीन जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित फिक्स चिमनी ईट भट्ठों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से प्रचलित उपविधि जो सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश में दिनांक 24 जुलाई, 1999 को प्रकाशित है, की धारा-8 (अ) व 13 में संशोधन/संवर्धन करना प्रस्तावित किया गया है। शेष उपविधि पूर्ववत रहेगी। जिसकी पुष्टि आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ से होने के उपरान्त गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

प्रचलित उपनियम	संशोधन/संवर्धित उपनियम
8 (अ) इस उपविधि के अन्तर्गत चिमनी ईट भटठ्। से लाइसेंस फीस रु0 7,000.00 (मु0 सात हजार रु0 मात्र) वार्षिक अदा होने पर लाइसेंस दिया जायेगा।	8 (अ) इस उपविधि के अन्तर्गत फिक्स चिमनी ईट भटठो से निम्नवत् वार्षिक लाइसेंस फीस अदा होने पर लाइसेंस दिया जायेगा। 1–फिक्स चिमनी ईट भटठ्। (20 पाये तक) –10,000.00 2–फिक्स चिमनी ईट भटठ्। (20 पाये से अधिक) –15,000.00
13–01 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नवीनीकरण न कराने पर रु0 700.00 का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। उसके उपरान्त लाइसेन्स न लेने पर भटठे मालिक के विरूद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।	13–01 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नवीनीकरण न कराने पर रु0 300.00 प्रति माह का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। उसके उपरान्त लाइसेन्स न लेने पर भटठे मालिक के विरूद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।

वर्तमान-उपविधि

उपर्युक्त अदा की गयी शुल्क की रसीद पूरे दिन [illegible] लिये मान्य होगी और उस तिथि में ऐसे वाहन [illegible] पर पुनः शुल्क की वसूली नहीं की जायेगी। प्रतिबन्ध [illegible] होगा कि ऐसी दशा में वाहन चालक को [illegible] पर रसीद दिखाना अनिवार्य होगा।

11—समस्त सरकारी, अर्द्ध सरकारी विभागों, [illegible] तथा विधायकों के वाहन, पथ कर शुल्क से मुक्त होंगे।

उपविधि संशोधित

उपर्युक्त अदा की गयी शुल्क की रसीद पूरे दिन के लिये मान्य होगी और उस तिथि में ऐसे वाहन [illegible] पर पुनः शुल्क की वसूली नहीं की जायेगी [illegible] यह होगा कि ऐसी दशा में वाहन [illegible] पर रसीद दिखाना अनिवार्य होगा।

समस्त सरकारी, अर्द्ध सरकारी, विभागों [illegible] तथा विधायकों के वाहन [illegible] होंगे। यदि किसी वाहन [illegible] सड़क पर चलने वाले अपने वाहन [illegible] (द्वितीय अर्थ) का [illegible] को जिला पंचायत को यह अधिकार होगा [illegible] कर का औसत [illegible] एक मुश्त [illegible] प्रदान करे। परन्तु इस प्रकार से जमा कराया गया शुल्क किसी भी दशा में [illegible] कर के [illegible] 80 प्रतिशत से कम न होगा। इस प्रकार की दी गयी अनुमति [illegible] से ठेकेदार [illegible] नियुक्त हो, द्वारा कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जायेगा।

11—धारा समाप्त।

[illegible] सिंह,
अध्यक्ष,
[illegible]

डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स-उन्नाव

20 मई, 1999 ई०

सं० 280/न०/उन्नाव निर्वाचन/दिनांक [illegible] राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना [illegible] अधो-हस्ताक्षरी द्वारा [illegible] 202/[illegible] दिनांक 18 मई, 1999 [illegible] जारी अधिसूचना को निम्नवत् संशोधित [illegible]।

अधिसूचना के [illegible]-1 के [illegible] 3, [illegible] पर [illegible] को ग्राम पंचायत [illegible] के [illegible] "[illegible]" जाति [illegible] "अनारक्षित" संशोधित पढ़ा जाय।

बी० बी० [illegible],
जिला मजिस्ट्रेट,
जिला निर्वाचन अधिकारी (पं०)
[illegible]।

15 जून, 1999 ई०

सं० 057/21-ए-07 (01-02)—उ० प्र० क्षेत्र समिति तथा जिला परिषद् अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 33, 1961) की धारा [illegible] के साथ पठित धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकार का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, [illegible] अपने प्रबन्ध के अन्तर्गत [illegible] के ग्रामीण क्षेत्रों में [illegible] सट्टा टाइप [illegible] आदि को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से पूर्व प्रकाशित उपविधि संख्या 1407-08/21 ए-07 (01-02), दिनांक 12 जनवरी, 1993 की उपधारा 8 (अ) [illegible] में निम्न प्रकार संशोधन किया गया है जो गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगा।

पूर्व स्वीकृत उपविधि	एतद्द्वारा संशोधित उपविधि
8—(अ) चिमनी, ईंट भट्ठा रु0 2,000.00 वार्षिक	8—(अ) चिमनी, ईंट भट्ठा रुपया 7,000.00 वार्षिक
13—1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नवीनीकरण कराने पर 300.00 रुपये का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा। इसके उपरान्त लाइसेन्स न लेने पर भट्ठे मालिक के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।	13—1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक नवीनीकरण कराने पर 700.00 का विलम्ब शुल्क जमा करना होगा, इसके उपरान्त लाइसेन्स न लेने पर भट्ठे मालिक के विरुद्ध चालान की कार्यवाही की जायेगी।

उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 33, सन् 1961) को उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, सन् 1994 द्वारा संशोधित है, की धारा 240 में निम्नवत् संशोधित किया गया है।

दण्ड	दण्ड
उ0 प्र0 क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला परिषद् यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन 250.00 रुपये तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड से दण्डित होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है रुपया 10.00 प्रतिदिन तक अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा। अर्थ दण्ड का भुगतान न किये जाने पर कारावास से दण्डित किया जायेगा जो कि तीन मास तक हो सकेगा।	उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 तथा संशोधित 1994 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत, उन्नाव घोषणा करती है कि उपरोक्त में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध हो जाने पर अंकन रु0 1,000.00 तक का अर्थ दण्ड दिया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध हो जाने पर प्रत्येक ऐसे दिवस के लिए उल्लंघन जारी रहा हो तो रु0 50.00 प्रतिदिन के हिसाब से अर्थ-दण्ड दिया जा सकता है। और दण्ड न जमा होने पर तीन मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

आज्ञा से,
अरुण कुमार मिश्रा,
आयुक्त,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

1	2	3	4
		रुपया	रुपया
33	खोया उत्पादक	30	40
34	खोया विक्रेता	30	50
35	चूरा, लाई, मूंगफली, गट्टा, खिलौने, बिस्कुट व पट्टी की दुकान	20	20
36	बेंत-बांस, बल्ली, लट्ठा व लाठी की दुकानें	30	40
37	साग, सब्जी-भाजी तथा फल की दुकान	20	30
38	दूध विक्रय व व्यवसाय के लिये	30	50
39	बालू, सीमेंट, मौरंग, चूना, सुर्खी बाईंडिंग व पेण्ट की दुकान	50	75
40	अन्य सभी प्रकार के व्यवसाय व दुकानें, जो उपरोक्त वर्गीकरण में नहीं आती हैं।	30	50

धारा 12

[illegible] उपविधि

इन उपविधियों के अन्तर्गत चलने वाले लाइसेन्स 30 जून तक बनवा लेने होंगे। ऐसा न करने पर विलम्ब की अवधि के प्रत्येक माह के लिये निम्नांकित [illegible] विलम्ब [illegible] अतिरिक्त देय होगा। विलम्ब [illegible] अवधि 1 जुलाई से प्रारम्भ होगी। क्रम 1 से 40 [illegible] निर्धारित विलम्ब शुल्क।

12 जनवरी, 1992 ई०

सं० 1407-08 21-ए--07 (91-92)--उत्तर [illegible] क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1961 (अधिनियम संख्या 33, 1961) की धारा 143 के [illegible] पठित धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों [illegible] प्रयोग करके [illegible] जिला परिषद लखनऊ ने अपने प्रबन्ध [illegible] अन्तर्गत जनपद-लखनऊ ग्रामीण क्षेत्र में ईंट भट्ठा, [illegible] खपड़ा, चूना तथा सुर्खी भट्टी आदि को नियमित [illegible] नियंत्रित करने के उद्देश्य से निम्न संशोधित उपविधियाँ [illegible] जिन्हें श्री एस० डी० बागला, आयुक्त, लखनऊ मण्डल, [illegible] ने संशोधन की पुष्टि उक्त अधिनियम के नियम [illegible] (2) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये कर दी [illegible] यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू [illegible] जायेगी। इस उपविधि के लागू होने के उपरान्त [illegible] संख्या 1903(बी)/12-ए—20(88-89) दिनांक 10 [illegible] 1989 तथा समय-समय पर संशोधित प्रकाशित [illegible] निरस्त समझी जायेगी।"

संशोधित उपविधि

[illegible] सीमित, कच्ची, पाटनरशिप फर्म या अन्य [illegible]

धारा 12

एतद्द्वारा संशोधित उपविधि

इन उपविधियों के अन्तर्गत चलने वाले लाइसेन्स का नवीनीकरण 30 अप्रैल तक करा लेना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर विलम्ब की अवधि के प्रत्येक माह के लिये 10 रु० प्रति माह की दर से अतिरिक्त विलम्ब शुल्क देय होगा।

तथा राजकीय विभाग राज्य सरकार द्वारा दिये गये ठेके के ठेकेदार या स्थानीय संस्थायें जनपद-लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रों में ईंट भट्ठा, टाइल्स, खपरा, चूना व सुर्खी आदि बिना लिखित परिलेख लाइसेंस के प्राप्त किये न चलायेगा न फूँकेगा और न बनवायेगा और न फुकवायेगा।

2—इन उपविधियों के अन्तर्गत दिया जाने वाला अनुज्ञा-पत्र निम्नलिखित शर्तों पर दिया जायेगा।

(अ) आबादी, सार्वजनिक इमारत, अस्पताल, विद्यालय ऐसी इमारतें अथवा स्थान जो ज्वलनशील पदार्थ एकत्र करने के प्रयोग में लाये जाते हैं, से ईंट भट्ठा, टाइल्स, अथवा खपरा, चूना व सुर्खी 800 मी० की दूरी के अन्दर न बनाया या फूँका जायेगा, न ही बनवाया या फुंकवाया जायेगा।

(ब) सार्वजनिक राष्ट्रीय तथा राज्य मार्ग के मध्य से 50 मीटर अन्य मार्गों के मध्य से 25 मीटर के भीतर किसी भट्ठे का निर्माण नहीं किया जायेगा और न ईंट, टाइल्स, खपरा, चूना या सुर्खी आदि फूंका जायेगा और न ईंट तथा खपरा आदि एकत्रित किया जायेगा और न इनको के निर्माण करने या फूंकने का प्रबन्ध किया जायेगा।

(1) ग्राम के [illegible] से पूर्व एवं पश्चिम दिशा में भट्ठे की दूरी 1.6 कि० मी० से कम नहीं होगी एवं उत्तर-दक्षिण दिशा में यह दूरी 300 मीटर से कम नहीं होनी चाहिये।

(2) उपरोक्त निर्धारित दूरी केवल उन आम रास्तों पर लागू होगी जिनका उपयोग ग्राम सभा अथवा अन्य ग्रामों का सामूहिक रूप से हाट, पशुओं के जाने के लिए तथा ग्राम के वासी तथा उसकी पाठशालायें (मदरसे) से कोई प्रभाव नहीं उनमें आवेगा जो एक दूसरे से भिन्न हों। मुख्य अधिकारी/अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत जिला परिषद के कार्य अधिकारी लाइसेंसिंग अधिकारी होंगे।

(3) इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेंसों की अवधि प्रत्येक वर्ष 1 अक्टूबर से 30 सितम्बर तक होगी।

(4) इन उपनियमों के किसी प्रकार के उल्लंघन पर लाइसेंस अधिकारी को अनुज्ञा-पत्र निरस्त करने, निलंबित करने अथवा स्थगित करने का अधिकार होगा।

(5) लाइसेंसिंग अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध 30 दिन के अन्दर अध्यक्ष, जिला परिषद को अपील की जा सकती है जिसका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

(6) अनुज्ञा-पत्र में आवेदन निर्धारित प्रपत्र पर किया जायेगा जो निर्धारित शुल्क जमा कर परिषद कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। इसका मूल्य नये भट्ठे हेतु 100 रु० प्रति आवेदन-पत्र तथा नवीनीकरण के लिये रु० [illegible] प्रति आवेदन-पत्र होगा।

(7) अनुज्ञा-पत्र आवेदन-पत्र के साथ ईंट, टाइल्स, चूना आदि के बनाने या फूंकने के स्थल का राजस्व अभिलेख जो 6 मास से पूर्व का न हो, प्रस्तुत करना होगा, यदि किसी दूसरे से स्थल लिया गया हो तो उसका इकरारनामा, राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित नियमों के अन्तर्गत कराकर प्रस्तुत करना होगा।

(8) शुल्क निम्नलिखित होगा :

	रु०
अ—चिमनी, ईंट भट्ठा	2000.00 वार्षिक
ब—बिना चिमनी के ईंट भट्ठा अनुज्ञा शुल्क-पत्र	100.00
स—टाइल्स अनुज्ञा-पत्र शुल्क	600.00
द—चूना या सुर्खी, [illegible] की सहायता द्वारा बनाने या फूंकने का अनुज्ञा-पत्र शुल्क	5000.00
य—[illegible] पथेरी [illegible] फूंकने का अनुज्ञा-[illegible]	100.00

(9) ईंट भट्ठा चूना, सुर्खी, टाइल्स आदि का व्यवसाय प्रारम्भ करने के पूर्व [illegible] कार्यालय जिला परिषद, उन्नाव, [illegible] करने की दशा में यदि कार्य [illegible] है तो पूर्व अनुज्ञा-पत्र का लिया [illegible] करके पुनः आगामी वर्ष [illegible] आवश्यक होगा।

(10) कोई व्यक्ति, [illegible] सूचना नहीं देगे जो असत्य [illegible] सम्बन्धित कोई ऐसी सूचना [illegible] अधिकारी, कार्य अधिकारी, [illegible] परिषद का कोई अन्य कर्मचारी [illegible] लिये जा रहे हों, माँगे तो देने से इन्कार नहीं [illegible]।

(11) भट्ठे की ईंटों पर बनाने वाले [illegible] भट्ठा या फर्म का नाम उभरा चिन्ह या ट्रेड मार्क [illegible] अनिवार्य होगा।

(12) ईंट भट्ठा सुर्खी चूना [illegible] लाइसेंसिंग अधिकारी के किसी आदेश [illegible] उसके विरुद्ध धारा 133 सी० आर० पी० सी० [illegible] कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की जायेगी।

(13) 1 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक [illegible] करने पर 200 रु० का विलम्ब शुल्क जमा [illegible] उसके उपरान्त लाइसेंस न लेने पर भट्ठे [illegible] चालान की कार्यवाही की जायेगी।

(14) ये उपविधियां गजट में प्रकाशन तिथि से लागू होंगी।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति एवं जिला परिषद अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला परिषद यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो अधिकतम 250 रुपये तक होगा और यदि उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थ दण्ड [illegible] जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् [illegible] जिसमें बार बार दोष सिद्ध भी न्यायालय [illegible] अपराधी करता रहा है, 10 रुपया प्रतिदिन तक अर्थ दण्ड अथवा अर्थ दण्ड का भुगतान न किये जाने [illegible] से दण्डित किया जायेगा, जो [illegible]

ए० के० [illegible]
आयुक्त,
लखनऊ मण्डल, [illegible]

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड ??]प्रयागराज, शनिवार, 26 अगस्त, 2023 ई० (भाद्रपद 04, 1945 शक संवत्) [संख्या 34

विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सकें।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु0
भाग 1— विज्ञप्ति—अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	543—570	3075
भाग 1—क— नियम, कार्य-विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1003—1020	1500 (भाग 1 से भाग 1—ख (2) तक)
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय		
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियां, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियां, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	299—334	975

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
		रु0
भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	43—314	975
भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट		975 (भाग 6—क से भाग 7—ख तक)
भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियां	..	
भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रूई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	429—441	975
स्टोर्स—पर्चेज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

उपाधि प्रमाणित

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत, उन्नाव

25 अप्रैल, 2023 ई0

पशु बाजार

सं0 1220/21ए-08/2020-21—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा-143 के साथ पठित धारा-145 के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, उन्नाव अपने नियंत्रणाधीन जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित पशु बाजार को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से प्रचलित उपविधि जो सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश में दिनांक 05 सितम्बर, 1998 को प्रकाशित है, के उपविधि भाग-2 की धारा-14, उपविधि भाग-3 की धारा-2 व 3, उपविधि भाग-4 की धारा-5 तथा उपविधि भाग-5 की धारा-5 में संशोधन/संवर्धन करना प्रस्तावित किया गया है। शेष उपविधि पूर्ववत रहेगी। जिसकी पुष्टि आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ से होने के उपरान्त गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

प्रचलित उपनियम	संशोधन/संवर्धित उपनियम
2(14)—इस उपविधि के अन्तर्गत पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के लिये निम्नलिखित वार्षिक लाइसेंस शुल्क देय होगा ;	2(14)—इस उपविधि के अन्तर्गत पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के लिये निम्नलिखित वार्षिक लाइसेंस शुल्क देय होगा ;

प्रचलित उपनियम	रु0	संशोधन/संवर्धित उपनियम	रु0
(1)—वर्ष में एक बार 01 से 15 दिन तक लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाइसेंस शुल्क	5,000.00	(1)—वर्ष में एक बार 01 से 15 दिन तक लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाइसेंस शुल्क	10,000.00
(2)—वर्ष में एक बार 15 दिन से अधिक किन्तु 30 दिन लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाइसेंस शुल्क	10,000.00	(2)—वर्ष में एक बार 15 दिन से अधिक किन्तु 30 दिन लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाइसेंस शुल्क	15,000.00
(3)—वर्ष में एक बार 30 दिन से अधिक अवधि के लिये लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाइसेंस शुल्क	15,000.00	(3)—वर्ष में एक बार 30 दिन से अधिक अवधि के लिये लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाइसेंस शुल्क	20,000.00
(4)—सप्ताह में एक बार लगने वाली पशु बाजार पशु पैठ का लाइसेंस शुल्क	2,000.00	(4)—सप्ताह में एक बार लगने वाली पशु बाजार पशु पैठ का लाइसेंस शुल्क	6,000.00
(5)—सप्ताह में दो या अधिक बार लगने वाली पशु बाजार पशु पैठ का लाइसेंस शुल्क	4,000.00	(5)—सप्ताह में दो या अधिक बार लगने वाली पशु बाजार पशु पैठ का लाइसेंस शुल्क	10,000.00
(6)—वर्ष में एक बार 15 दिन तक लगातार चलने वाली पशु प्रदर्शनी का लाइसेंस शुल्क	2,000.00	(6)—वर्ष में एक बार 15 दिन तक लगातार चलने वाली पशु प्रदर्शनी का लाइसेंस शुल्क	5,000.00
(7)— वर्ष में एक बार 15 दिन से अधिक लगातार लगने वाली प्रदर्शनी का लाइसेंस शुल्क	4,000.00	(7)— वर्ष में एक बार 15 दिन से अधिक **लगातार लगने वाली प्रदर्शनी का** लाइसेंस शुल्क	10,000.00

प्रचलित उपनियम	संशोधन/संवर्धित उपनियम
3(2)—इस उपविधि के अन्तर्गत रु0 250.00 वार्षिक शुल्क अदा करने पर ही लाइसेन्स अधिकारी द्वारा चौधरी तथा दलाल का लाइसेन्स दिया जायेगा।	3(2)—इस उपविधि के अन्तर्गत रु0 500.00 वार्षिक शुल्क अदा करने पर ही लाइसेन्स अधिकारी द्वारा चौधरी तथा दलाल का लाइसेन्स दिया जायेगा।
3(3)—इस उपविधि के अन्तर्गत चौधरी तथा दलाल प्रत्येक पशु की ब्रिकी पर निम्न प्रकार कमीशन पाने का अधिकारी होगा। उक्त कमीशन क्रेता एवं विक्रेता द्वारा आधा-आधा दिया जायेगा :	3(3)— इस उपविधि के अन्तर्गत चौधरी तथा दलाल प्रत्येक पशु की ब्रिकी पर निम्न प्रकार कमीशन पाने का अधिकारी होगा। उक्त कमी न केता एवं विकेता द्वारा आधा-आधा दिया जायेगा ::

प्रचलित उपनियम	रु0	संशोधन/संवर्धित उपनियम	रु0
(अ)—पशु से रु0 100.00 तक मूल्य पर	00.50	(अ)—पशु से रु0 1,000.00 तक मूल्य पर	20.00

प्रचलित उपनियम	रु0	संशोधन/संवर्धित उपनियम	रु0
(ब)—पशु से रु0 1,000.00 तक मूल्य पर	2.00	(ब)—पशु से रु0 1,000.00 से रु0 10,000.00 तक मूल्य पर	100.00
(स)—पशु से रु0 1,000.00 से ऊपर मूल्य पर शुल्क	5.00	(स)—पशु से रु0 10,000.00 से ऊपर मूल्य पर	200.00

प्रचलित उपनियम	रु0	संशोधन/संवर्धित उपनियम	रु0
4(5)—इस उपविधि के अन्तर्गत अड्डों पर लदान एवं उतरान शुल्क निम्न प्रकार देय होगा :		4(5)—इस उपविधि के अन्तर्गत अड्डों पर लदान एवं उतरान शुल्क निम्न प्रकार देय होगा :	
(1)—मेटाडोर या छोटा ट्राली	5.00	(1)—मेटाडोर या छोटा ट्राली	20.00
(2)—बड़ी ट्राली	10.00	(2)—बड़ी ट्राली	40.00
(3)—छोटा ट्रक तथा मेटाडोर जिसमें पशु लदे हो	125.00	(3)—छोटा ट्रक तथा मेटाडोर जिसमें पशु लदे हो	250.00
(4)—बड़ा ट्रक तथा मेटाडोर जिसमें पशु लदे हो	150.00	(4)—बड़ा ट्रक तथा मेटाडोर जिसमें पशु लदे हो	300.00
(5)—सामान भरा हुआ बैल गाड़ी या खेड़खड़ा	5.00	(5)—सामान भरा हुआ बैल गाड़ी या खड़खड़ा	20.00
(6)—खाली बैल गाड़ी या खड़खड़ा	2.00	(6)—खाली बैल गाड़ी या खड़खड़ा	10.00
(7)—सामान भरा ट्रैक्टर ट्राली मेटाडोर या छोटा ट्रक	25.00	(7)—सामान भरा ट्रैक्टर ट्राली मेटाडोर या छोटा ट्रक	50.00
(8)—सामान भरा हुआ बड़ा ट्रक	50.00	(8)—सामान भरा हुआ बड़ा ट्रक	200.00

प्रचलित उपनियम	संशोधन/संवर्धित उपनियम
5(5)—इस उपविधि के अन्तर्गत पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में निम्न प्रकार प्रवेश शुल्क देय होगा।	5(5)—इस उपविधि के अन्तर्गत पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में निम्न प्रकार प्रवेश शुल्क देय होगा।

प्रचलित उपनियम	रु0	संशोधित/प्रतिस्थापित उपनियम	रु0
(1)—गाय का बछड़ा, भैंसा का पड़वा/पड़िया एवं घोड़ा का बच्चा जिनकी आयु एक वर्ष तक	रु0 1.00 प्रति पशु	(1)—गाय का बछड़ा, भैंसा का पड़वा/पड़िया एवं घोड़ा का बच्चा जिनकी आयु एक वर्ष तक	रु0 5.00 प्रति पशु
(2)— बकरा, बकरी एवं भेड़	रु0 2.00 प्रति पशु	(2)— बकरा, बकरी एवं भेड़	रु0 10.00 प्रति पशु
(3)— गाय, बैल, भैंस, भैंसा, घोड़ा, घोड़ी	रु0 2.00 प्रति पशु	(3)— गाय, बैल, भैंस, भैंसा, घोड़ा, घोड़ी	रु0 20.00 प्रति पशु
(4)—ऊँट एवं हाथी	रु0 5.00 प्रति पशु	(4)—ऊँट एवं हाथी	रु0 50.00 प्रति पशु

(डा0 रोशन जैकब),
आयुक्त,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पशु बाजार उपविधि

दिनांक 12 सितम्बर, 1996 ई0 द्वारा प्रकाशित एवं प्रभावी हुई थी, के उपविधि (4) को निम्न प्रकार से संशोधित किया गया है, जिसकी पुष्टि उक्त अधिनियम की धारा 242 (2) के अन्तर्गत आयुक्त, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी द्वारा की गई है। इस उपविधि की संशोधित उपविधि सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

धारा सं0	वर्तमान पद	संशोधित पद
1	2	3
उपधारा (4)	जनपद के किसी विभाग, समिति, निगम, कम्पनी, आदि में कार्य करने के लिए लाइसेंस शुल्क रुपया 200.00 (दो सौ) जमा करने पर ही प्राप्त किया जा सकेगा। लाइसेंस की अवधि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। लाइसेंस प्रत्येक दशा में 30 जून तक प्राप्त करना होगा। इस अवधि के बाद निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क अदा करने के पश्चात ही लाइसेंस प्राप्त किया जा सकेगा।	जनपद के किसी विभाग, समिति (निगम) कम्पनी आदि में कार्य करने के लिए लाइसेंस शुल्क 500.00 रुपया (पाँच सौ) जमा करने पर प्राप्त किया जा सकेगा। लाइसेंस की अवधि वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होगी। लाइसेंस प्रत्येक दशा में 30 जून तक प्राप्त करना होगा। इस अवधि के बाद निर्धारित शुल्क का 50 प्रतिशत विलम्ब शुल्क अदा करने के पश्चात् ही लाइसेंस प्रदान किया जा सकेगा।

शास्ति

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 की धारा 240 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, चमोली यह आदेश देती है कि उपरोक्त उपविधियों में से किसी भी उपविधि का उल्लंघन करने पर उल्लंघनकर्ता को न्यायालयों द्वारा दोष सिद्ध होने पर रुपये 1000.00 अर्थदण्ड किया जा सकता है तथा प्रथम दोष सिद्ध होने के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसमें उल्लंघन जारी रहा हो रुपया 50.00 प्रतिदिन की दर से जुर्माना किया जा सकता है और जुर्माना अदा न करने पर 3 (तीन) मास का कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

बी0 एम0 बोहरा,
आयुक्त,
गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

1 अगस्त, 1996 ई0

सं0 3102/21 ए-45(95-96)--उ0 प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961, जो उ0प्र0 पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधित है की धारा 143(7) के साथ पठित धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, चमोली ने अपने नियंत्रणाधीन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में पशु मेला, पशु बाजारों, पशु पैंठ अथवा पशु प्रदर्शनियों को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु निम्न उपविधियां बनाई हैं। यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू समझी जायेगी। इस उपविधि के लागू होने के उपरान्त

परिभाषाएं---(1) ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में दी गई परिभाषा से है।

(2) पशु मेलों, पशु बाजार, पशु पैंठ, अथवा पशु प्रदर्शनी का तात्पर्य उस स्थल से है, जहां जिला पंचायत किसी व्यक्ति अथवा किसी संस्था (जिसमें धार्मिक संस्था भी सम्मिलित है) शामिल है द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्र में क्रय-विक्रय अथवा प्रदर्शनी हेतु पशु लाये जाते हैं।

(3) पशु का तात्पर्य सभी जाति या श्रेणी के पशुओं से है।

द्वारा स्थापित पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैंठों अथवा पशु प्रदर्शनियों, पशु की बिक्री कराने एवं ... हेतु ... निमित्त नियुक्त किया है, जिसे पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैंठों एवं प्रदर्शनियों में उनके संचालन अथवा प्रबंधन की संस्तुति पर उपरोक्त प्रयोजन हेतु लाइसेंस अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति रजिस्ट्रेशन अधिकारी माना जायेगा ।

(5) दलाल का तात्पर्य उस वयस्क व्यक्ति से है, जिसे जिला पंचायत के लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैंठों एवं पशु प्रदर्शनियों में दलाली कार्य हेतु अधिकृत किया गया है ।

(6) ठेकेदार का तात्पर्य भी उस वयस्क व्यक्ति से है, जिसे जिला पंचायत में किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी हेतु ठेके की शर्तों के अनुरूप नियत अवधि के लिए प्रबन्ध के निमित्त अधिकृत किया गया हो ।

उपविधि भाग-1

(1) प्रत्येक व्यक्ति को जिला पंचायत, उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्र में कोई पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं प्रदर्शनी आयोजित करना चाहता है, को इन उपविधियों का पालन करना अनिवार्य होगा ।

2--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक अथवा उसके द्वारा नियुक्त मैनेजर या अधिकृत एजेन्ट के लिए बाजार में आये हुए व्यक्तियों के ठहरने, जानवरों हेतु चारा-पानी, सफाई तथा रोशनी का प्रबन्ध व रख-रखाव स्वयं करना होगा ।

3--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के प्रबन्धों का निरीक्षण समय-समय पर जिला पंचायत के अधिकारियों द्वारा किया जायेगा । सफाई एवं बिक्री हेतु लाये गये खाद्य पदार्थों की जांच का कार्य चिकित्सा विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किया जायेगा । अधिकारियों द्वारा जांच में इंगित कमियों को तुरन्त दूर करना संचालक, प्रबन्धक, मैनेजर अथवा एजेन्ट के लिए अनिवार्य होगा ।

4--एक से अधिक दिन तक चलने वाले पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में व्यापारियों एवं जनता की सुविधा हेतु शौचालयों एवं मुत्रालय की व्यवस्था व सफाई कराना संचालक, मैनेजर, प्रबन्धक अथवा एजेन्ट के लिए अनिवार्य होगा ।

5--जिला पंचायत के अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, अभियन्ता, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी, क्षेत्रीय अवर अभियन्ताओं, कर निरीक्षक, स्वास्थ्य विभाग के उप मुख्य चिकित्साधिकारी, प्रभारी चिकित्साधिकारी ... एवं खाद्य निरीक्षक के अतिरिक्त अध्यक्ष, जिला पंचायत अथवा लाइसेंसिंग अधिकारी द्वारा अधिकृत कोई भी कर्मचारी किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है ।

6--नये पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए शांति व्यवस्था सम्बन्धी पुलिस विभाग की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त जिला पंचायत के लाइसेन्स अधिकारी द्वारा लाइसेन्स प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जायेगा ।

7--नये पशु मेलों, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने के लिए यह अनिवार्य होगा कि प्रारम्भ करने की तिथि से एक माह (तीस दिन) के पूर्व जिला पंचायत से लाइसेन्स प्राप्त कर लें । लाइसेंस की अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होगी ।

8--किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं प्रदर्शनी के स्थल से 8 कि0 मी0 के अन्दर किसी दूसरे पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु लाइसेन्स नहीं दिया जायेगा । प्रतिबन्ध यह है कि यह नियम उपविधि के लागू होने से पूर्व से आयोजित हो रहे पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैंठों में एवं प्रदर्शनियों पर प्रभावी नहीं होगा ।

9--नये वर्ष का लाइसेन्स प्राप्त करने हेतु अनिवार्य होगा कि 30 अप्रैल तक लाइसेन्स शुल्क जमा कर नया लाइसेन्स बनवा लिया जावे अन्यथा तीन सौ रु0 प्रतिमाह अथवा उसके किसी भाग पर विलम्ब शुल्क जमा करके ही लाइसेन्स प्राप्त किया जा सकेगा । लाइसेन्स नवीनीकरण में भी यह विधि अपनाई जावेगी परन्तु लाइसेन्स नवीनीकरण हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्रों में लाइसेन्स संख्या, दिनांक तथा दिये गये लाइसेन्स शुल्क का विवरण अंकित करना होगा ।

10--जो पशु मेले, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी पूर्व से लग रही है, उसके संचालक को इन उपविधियों के प्रकाशन के एक माह के अन्दर लाइसेन्स बनवा लेना होगा अन्यथा उपनियम संख्या-9 के अनुसार विलम्ब शुल्क जमा करने पर ही लाइसेन्स जारी किया जायेगा । प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित पशु मेलों, पशु बाजार, पशु पैंठों एवं पशु प्रदर्शनी पर लगाये गये विलम्ब शुल्क को किसी स्थिति तक कम करने अथवा समाप्त करने का विशेषाधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत को होगा ।

11--अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उन्नाव इन उपविधियों के अन्तर्गत लाइसेन्स अधिकारी होंगे ।

उपविधि भाग–2

1––कोई भी व्यक्ति जिले के ग्रामीण क्षेत्र में किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में किसी भी पशु का क्रय–विक्रय रजिस्ट्रेशन अधिकारी द्वारा उसकी बिक्री की रजिस्ट्री कराये बिना नहीं कर सकेगा।

2––पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी अथवा संचालक द्वारा अधिकृत व्यक्ति जिला पंचायत के लाइसेन्सिंग अधिकारी की अनुमति से रु0 250.00 वार्षिक रजिस्ट्रेशन शुल्क देकर रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त हो सकता है।

3––(अ) निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी का दायित्व होगा कि रजिस्ट्रेशन अधिकारी नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति का पूरा पता सहित पुलिस विभाग द्वारा जारी चरित्र प्रमाण–पत्र के साथ प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करें। ऐसे रजिस्ट्रेशन अधिकारी का पारिश्रमिक, स्वामी, संचालक अथवा ठेकेदार की आपसी सहमति से तय होगा। प्रतिबन्ध यह है कि ऐसा पारिश्रमिक न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत निर्धारित दर से कम न होगा।

(ब) जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेलों, पशु बाजार, पशु पैंठों एवं प्रदर्शनी में नियुक्त जिला पंचायत के कर्मचारी को यदि रजिस्ट्रेशन अधिकारी का कार्य सौंपा जाता है तो वह एक रुपया प्रति पशु की दर से पारिश्रमिक प्राप्त करेगा। ऐसे कर्मचारियों को कोई दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता या अन्य कोई पारिश्रमिक देय न होगा।

(4) रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री की रजिस्ट्री पशु देखकर तथा साक्ष्य लेकर ही करेगा।

(5) किसी भी पशु की रजिस्ट्री सूर्योदय के पूर्व और सूर्यास्त के पश्चात् नहीं की जा सकेगी।

(6) रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री पर रजिस्ट्री करते समय एक प्रतिशत क्रेता एवं एक प्रतिशत विक्रेता से पूरे मूल्य पर शुल्क वसूल करेगा, जो किसी भी दशा में रु0 20.00 से कम नहीं होगा। प्रतिबन्ध यह है कि जिला पंचायत को विशेष संकल्प द्वारा इन उपविधियों में किसी भी प्राविधान के बावजूद रजिस्ट्रेशन शुल्क को स्थानीय परिस्थितियों के कारण बढ़ा देने अथवा कम कर देने का अधिकार होगा।

(7) निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के प्रबन्धक द्वारा उपविधि के नियमों अथवा निरीक्षण के आदेशों का पालन न करने पर संचालक या प्रबन्धक को एक माह की नोटिस दी जायेगी और उसके उपरान्त भी प्रबन्ध ठीक नहीं होते हैं तो लाइसेन्सिंग अधिकारी की संस्तुति पर अध्यक्ष, जिला पंचायत उक्त पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ अथवा पशु प्रदर्शनी को नियत तिथि से अपने प्रबन्ध में लेने की अधिसूचना जारी की जायेगी और जिला पंचायत द्वारा स्वयं अथवा ठेके पर उसका प्रबन्ध किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि उक्त अवधि तीन वर्ष से अधिक न होगी, किन्तु अपवादिक स्थिति में जिला पंचायत को विशेष संकल्प से यह अवधि बढ़ाई जा सकती है।

उक्त व्यवस्था में होने वाली आय में से जिला पंचायत द्वारा निर्धारित प्रबन्धकीय व्यय घटाकर शेष धनराशि निजी प्रबन्धक अथवा संचालक को वापस की जायेगी।

(8) जिला पंचायत द्वारा नियुक्त ठेकेदार को किसी भी दशा में उपविधियों द्वारा निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क वसूल करने का अधिकार नहीं होगा।

(9) रजिस्ट्रेशन अधिकारी प्रत्येक पशु की बिक्री कर प्रमाण–पत्र अपने हस्ताक्षर से क्रेता को उ0 प्र0 रेगूलेशन के नियम 183 (2) के अन्तर्गत पुलिस फार्म–51 में भरकर देगा तथा उसका प्रतिपर्ण अपने पास सुरक्षित रखेगा। यदि किसी पशु का दूध पीता बच्चा साथ में हो तो एक ही बिक्री प्रमाण–पत्र पर्याप्त होगा। एक प्रतिपर्ण पर एक ही पशु की रजिस्ट्री की जायेगी।

10––पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक तथा प्रबन्धक के लिए यह अनिवार्य होगा कि उ0 प्र0 पुलिस रेगुलेशन के नियम 183 (2) में निर्धारित पुलिस फार्म–54 पुस्तकें, जिला पंचायत कार्यालय से निर्धारित शुल्क जमा करने के पश्चात प्राप्त करके पशुओं के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रयोग में लायेगा और पुस्तकों के प्रतिपर्ण जिला पंचायत कार्यालय में जमा करेगा यह शर्त ठेकेदार के ऊपर भी यथावत् लागू होगी।

11––पशु मेला पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक या प्रबन्धक/अथवा ठेकेदार के लिए आवश्यक होगा कि पशुओं के रजिस्ट्रेशन तथा शर्तों की सुविधा रजिस्ट्रेशन के बैठने के स्थान पर चिपका दें।

12––कोई भी व्यक्ति जिला पंचायत द्वारा संचालित अथवा निजी पशु मेलों, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में संक्रामक रोग से पीड़ित पशु को नहीं ला सकेगा। एतदर्थ नियुक्त जिला पंचायत के अधिकारी अथवा निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ अथवा पशु प्रदर्शनी के संचालक/प्रबन्धक को अधिकार होगा कि संक्रामक रोग से ग्रसित किसी भी पशु को प्रवेश न करने दें अथवा स्थल से बाहर निकाल दें।

वाहन की किस्म	शुल्क	
	रु०	
1 मोटरकार या छोटा ट्रक	5.00	10
2 बस, टेम्पो	10.00	15
3 छोटा ट्रक तथा मेटाडोर जिसमें पशु लदे हों	125.00	250
4 बड़ा ट्रक जिसमें पशु लदे हों	150.00	300
5 सामान भरा हुआ बैलगाड़ी या खड़खड़ा	5.00	10
6 खाली बैलगाड़ी या खड़खड़ा	2.00	5
7 सामान भरा ट्रैक्टर ट्राली मेटाडोर तथा छोटा ट्रक	25.00	50
8 सामान भरा हुआ बड़ा ट्रक	50.00	100

उपविधि भाग-5

1--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में संक्रामक रोगों की रोकथाम तथा रोग ग्रसित पशुओं का प्रवेश निषिद्ध करने के लिये मेलों में आने वाले सभी प्रवेश मार्गों पर चेकिंग की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा की जायेगी।

2--पशुओं की जांच के लिये जिला पंचायत अथवा जिले के पशुधन विभाग द्वारा निर्दिष्ट पशु चिकित्सा दल के प्रमाण-पत्र के पश्चात् ही पशु मेला, पशु बाजार पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में पशुओं को प्रवेश की अनुमति दी जायेगी।

3--जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में जिला पंचायत अथवा पशुधन विभाग द्वारा चिकित्सा शिविर की स्थापना की जायेगी, जिसमें रोगी पशुओं के उपचार की व्यवस्था होगी।

4--निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी को जिला पंचायत के निर्देशानुसार यथोचित व्यवस्था करनी होगी। यदि वह ऐसी व्यवस्था नहीं करता है तो लाइसेंसिंग अधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह जिला पंचायत की ओर से ऐसी व्यवस्था कर सकता है और उस दशा में होने वाले व्यय को सम्बन्धित निजी संचालक से भू-राजस्व के बकाये की भांति वसूल किया जायेगा।

5--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में निम्न प्रकार प्रवेश शुल्क देय होगा।

प्रवेश-शुल्क		
	रु०	
1--गाय का बछड़ा, भैंस का पड़वा/पड़िया एवं घोड़ा का बच्चा जिसकी आयु एक वर्ष तक	1.00 प्रति पशु	5
2--बकरा, बकरी एवं भेड़	2.00 "	5
3--गाय, बैल, भैंसा, भैंस, घोड़ा, घोड़ी	2.00 "	10
4--ऊंट एवं हाथी	5.00 "	15

6--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी को स्थापित या संचालित करने वाले प्रबन्धक अथवा लाइसेन्स प्राप्त करने वाले व्यक्ति या जिला पंचायत द्वारा नियुक्त ठेकेदार का दायित्व होगा कि--

(क) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ अथवा पशु प्रदर्शनी स्थल स्वच्छ रहे।

(ख) पशुओं के चारे-पानी की उचित व्यवस्था करायें।

(ग) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ अथवा पशु प्रदर्शनी में आने वाले व्यापारियों तथा ग्राहकों के लिये स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करायें।

(घ) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ अथवा पशु प्रदर्शनी में पशुओं को रुकने तथा चारा खाने हेतु स्थल का प्रबन्ध करायें।

(ङ) व्यापारियों के ठहरने के लिये भी समुचित प्रबन्ध करायें।

(च) पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी स्थल पर प्रकाश एवं सफाई की समुचित व्यवस्था करायें।

(छ) संक्रामक रोगों से बचने के लिये ब्लीचिंग पाउडर एवं डी०डी०टी० का समुचित छिड़काव करायें।

(ज) जिला पंचायत के अधिकारियों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों एवं पशु चिकित्सा विभाग के अधिकारियों द्वारा मानव स्वास्थ्य चिकित्सा एवं पशु चिकित्सा के सम्बन्ध में दिये गये निर्देशों का पालन निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी को करना अनिवार्य होगा।

उपविधि भाग-6

1--जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं प्रदर्शनी में सुविधा के समस्त प्रबन्ध

13—कोई भी व्यक्ति या संस्था निर्धारित फीस देकर वर्णित अवधि के लिए जिला पंचायत से लाइसेंस प्राप्त किए बिना पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं प्रदर्शनी का आयोजन नहीं कर सकेगा।

14—पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के लिये निम्नांकित लाइसेंस शुल्क देय होगा :

	रु० वार्षिक
(1) वर्ष में एक बार 1 से 15 दिन तक लगातार लगने वाले पशु मेले के लिए लाइसेन्स शुल्क	5000.00
(2) वर्ष में एक बार 15 दिन से अधिक किन्तु 30 दिन लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाइसेंस शुल्क ।	10000.00
(3) वर्ष में एक बार 30 दिन से अधिक अवधि के लिए लगातार लगने वाले पशु मेले के लिये लाइसेन्स शुल्क	15000.00
(4) सप्ताह में एक बार लगने वाली पशु बाजार पशु पैंठ, का लाइसेन्स शुल्क	2000.00
(5) सप्ताह में दो या अधिक बार लगने वाली पशु बाजार, पशु पैंठ का लाइसेन्स शुल्क	4000.00
(6) वर्ष में एक बार 15 दिन तक लगातार चलने वाली पशु प्रदर्शनी का लाइसेन्स शुल्क	2000.00
(7) वर्ष में एक बार 15 दिन से अधिक लगातार लगने वाली प्रदर्शनी का लाइसेन्स शुल्क	4000.00

उपविधि भाग—3

1—जिला पंचायत द्वारा पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैंठों एवं पशु प्रदर्शनियों क्रेता एवं विक्रेता के बीच सम्बन्ध स्थापित करने हेतु चौधरी अथवा दलाल का लाइसेन्स दिया जायेगा। ऐसे चौधरी तथा दलाल निम्नांकित शर्तों के अधीन लाइसेन्स प्राप्त करेंगे और कार्य करेंगे । कोई भी वयस्क एवं स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति ही चौधरी या दलाल का कार्य करने हेतु लाइसेन्स प्राप्त कर सकेगा ।

2—रु० 250.00 वार्षिक शुल्क अदा करने पर ही लाइसेन्स अधिकारी द्वारा चौधरी तथा दलाल को लाइसेन्स दिया जायेगा ।

3—चौधरी तथा दलाल प्रत्येक पशु की बिक्री पर निम्न प्रकार कमीशन पाने का अधिकारी होगा । उक्त कमीशन क्रेता एवं विक्रेता द्वारा आधा-आधा दिया जायेगा :

	रु०
(अ) पशु के रु० 100.00 तक मूल्य पर	00.50
(ब) पशु के रु० 1000.00 तक मूल्य पर	2.00
(स) पशु के रु० 1000.00 से ऊपर मूल्य पर	5.00

4—जिला पंचायत द्वारा नियुक्त कोई चौधरी/दलाल अपनी नियुक्ति के पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी से 30 कि० मी० के अन्दर अन्य किसी मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में चौधराहट या दलाली नहीं कर सकेगा । अन्यथा उसकी चौधराहट/दलाली लाइसेन्स अधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी ।

उपविधि भाग—4

1—जिला पंचायत, उन्नाव द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में सार्वजनिक मार्ग के किनारे पशुओं के लदान या उतारने के लिए अड्डों की व्यवस्था करेगी ।

2—निजी स्वामित्व में आने वाले पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के निकट सार्वजनिक मार्ग के किनारे पशुओं के लदान एवं उतरान हेतु अड्डे की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा ही किया जायेगा ।

3—यातायात की सुरक्षा तथा मेले में ट्रैफिक की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये अड्डों के पास वाहनों का पार्किंग स्थल निर्धारित किया जायेगा । पशुओं के लदान व उतरान के लिये अड्डा बनाया जायेगा ।

4—जिला पंचायत अड्डों की स्थापना एवं संचालन का कार्य स्वतः किसी एजेंसी अथवा ठेकेदार के माध्यम से करेगी । निजी क्षेत्र के पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में अड्डों की स्थापना, ट्रैफिक व्यवस्था संचालन के कार्य से पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा ।

5—अड्डों पर लदान एवं उतरान शुल्क निम्न प्रकार देय होगा :

अपर मुख्य अधिकारी द्वारा जिला पंचायत के निर्देशानुसार किया जायेगा।

2--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में आये हुए मुसाफिर आदि की बैठकों को छोड़ कर, अन्य शर्तें तहबाजारी नियन्त्रण उपविधि में निर्धारित नियमों के अनुसार की जायेंगी।

3--पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ, पशु प्रदर्शनी के संचालित करने अथवा पशु प्रवेश शुल्क की वसूली के कार्य को सम्पादित करने हेतु यदि जिला पंचायत द्वारा ठेका दिये जाने का निर्णय लिया जाता है तो ऐसे ठेकों की निलामी एक समिति द्वारा की जायेगी, जिसके अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी होंगे और कार्यअधिकारी व वित्तीय परामर्शदाता सदस्य होंगे। यह समिति तहबाजारी नियन्त्रण उपविधि के नियम-5 (1) से (7) तक के उपनियमों का पालन कर इन ठेकों में भाग देगी।

4--जिला पंचायत द्वारा संचालित पशु मेलों, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में दुकानों के लगाने का स्थान अपर मुख्य अधिकारी अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी की देख-रेख में निश्चित किया जायेगा।

5--निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी में लगने वाली दुकानों, पशुओं के ठहरने आदि का स्थान लाइसेन्स आवेदन-पत्र साथ में संलग्न मानचित्र में दर्शाये गये ढंग से निर्धारित किया जायेगा। लाइसेन्स अधिकारी की लिखित अनुमति से निजी स्वामी आवश्यकतानुसार स्थान व व्यवस्था में परिवर्तन कर सकता है।

6--निजी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु स्वामी ही लाइसेन्स प्रार्थना-पत्र के साथ पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैंठ एवं पशु प्रदर्शनी का स्थल, क्षेत्रफल तथा चौहद्दी का पूर्ण विवरण दर्शाते हुये खसरा-खतौनी की नकल के साथ आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा, तभी उस पर विचार किया जायेगा।

दण्ड

उत्तर प्रदेश क्षेत्र समिति, पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो रु० 1,000.00 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा, जो प्रथम बार सिद्ध दोष के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाय कि उसमें अपराधी अपराध करता है, रु० 50.00 प्रतिदिन तक दण्ड किया जा सकेगा।

3 अगस्त, 1998 ई०

सं० 3137/21--24 (96-97)--विज्ञप्ति संख्या 2644/21-ए-24(96-97), दिनांक 31 जुलाई, 1997 के सन्दर्भ में उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961, जो उ० प्र० पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधित है, की धारा 143 के साथ पठित धारा 239(2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, हरदोई ने अपने नियंत्रणाधीन जिले के ग्रामीण क्षेत्रों के पशु मेलों, पशु बाजारों, पशु पैंठों अथवा पशु प्रदर्शनियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से उपविधियां बनाई है, जिनकी उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के प्रयोजन हेतु उत्तर प्रदेश गजट, दिनांक 27 सितम्बर, 1997 ई०, भाग 3 के पृष्ठ संख्या 1461 में प्रकाशित हुई है, में निम्न संशोधन किया जाता है :

संशोधन

वर्तमान	संशोधित
राजेश्वरी अध्यक्ष जिला पंचायत, हरदोई	आयुक्त लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

अरुण कुमार मिश्रा,
आयुक्त,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पी० एस० यू० पी०--23 हिन्दी गजट--भाग 3--1998 ई०।

मुद्रक और प्रकाशक--निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

रजिस्ट्री नं०-[illegible]-4
लाइसेन्स नं०-[illegible]-41
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

इलाहाबाद, शनिवार, 14 जनवरी, 2017 ई० (पौष 24, 1938 शक संवत्)

भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क—नगरपालिका परिषद, खण्ड-ख—नगर पंचायत, खण्ड-ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ—जिला पंचायत।

खण्ड-घ—जिला पंचायत

02, जनवरी, 2017 ई०

सं० 961/21ए-14/(2016-17)—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 143 के साथ पठित धारा 145 एवं 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जिला पंचायत ने अपने नियंत्रणाधीन जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों की मिलों, फैक्ट्रियों आदि को नियंत्रित एवं विनियम करने के उद्देश्य से प्रचलित उपविधि को संशोधित/संवर्धित किया है। यथा संशोधित प्रचलित उपविधि की धारा 16(क), एवं 16(ख), 16(घ) में संशोधन/संवर्धन किया है। यह गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी—

यथा संशोधित प्रचलित उपविधि की धारा 16(क), एवं 16(ख), 16(घ) में संशोधन/संवर्धन निम्नवत है :

प्रचलित उपनियम			संशोधन/संवर्धित उपनियम		
16(क) इस उपविधि के अन्तर्गत अन्य प्रकार के कारखानों, फैक्ट्रियों तथा मिलों को छोड़कर अन्य धन्धियों आदि से निम्नवत् लाइसेंस फीस प्रति वर्ष अदा होने पर लाइसेंस दिया जायेगा।			16(क) इस उपविधि के अन्तर्गत अन्य प्रकार के कारखानों, फैक्ट्रियों तथा मिलों को छोड़कर अन्य धन्धियों आदि से निम्नवत् लाइसेंस फीस प्रति वर्ष अदा होने पर लाइसेंस दिया जायेगा।		
क्र० सं०	व्यवसाय का नाम		क्र० सं०	व्यवसाय का नाम	
1	2	3	1	2	3
		रु०			रु०
1	आटा चक्की	200.00	1	आटा चक्की	400.00
2	धान मशीन	200.00	2	धान मशीन	500.00
3	स्पेलर	100.00	3	स्पेलर	300.00
4	रुई मशीन	100.00	4	रुई मशीन	300.00
5	आरा मशीन	400.00	5	आरा मशीन	1,000.00
6	चूरा मशीन	100.00	6	चूरा मशीन	300.00
7	—	150.00	7	मसाला पिसाई	200.00

उपविधि प्रकाशित।

कार्य अधिकारी
जिला पंचायत, उन्नाव

प्रचलित उपनियम	संशोधन/संवर्धित उपनियम
16 (ख) वर्तमान उपविधियों में अश्वशक्ति पर लिये जाने वाले लाइसेंस शुल्क को इस प्रकार संशोधित किया जा रहा है कि प्रत्येक मिलों, कारखानों तथा फैक्ट्रियों के लिये अलग-अलग लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी जो निम्न है--	16 (ख) वर्तमान उपविधियों में अश्वशक्ति पर लिये जाने वाले लाइसेंस शुल्क को इस प्रकार संशोधित किया जा रहा है कि प्रत्येक मिलों, कारखानों तथा फैक्ट्रियों के लिये अलग-अलग लाइसेंस फीस निर्धारित की जायेगी जो निम्न है--

क्र0 सं0	व्यवसाय का नाम		क्र0 सं0	व्यवसाय का नाम	
1	2	3	1	2	3
		रु0			रु0
1	ह्यूम पाइप, स्टील रोलिंग पाइप इण्डस्ट्रीज पर	7,000.00	1	ह्यूम पाइप, स्टील रोलिंग पाइप इण्डस्ट्रीज पर	10,000.00
2	सरिया बनाने का कारखाना	7,000.00	2	सरिया बनाने का कारखाना	
				(क) रु0 25.00 लाख तक का लागत का	10,000.00
				(ख) रु0 25.00 लाख से अधिक से लागत का	15,000.00
3	आटो मोबाइल फैक्ट्री	7,000.00	3	आटो मोबाइल फैक्ट्री	10,000.00
4	मशीनों के कल पुर्जे बनाने की फैक्ट्री	4,000.00	4	मशीनों के कल पुर्जे बनाने की फैक्ट्री	10,000.00
5	पंखा, सिलाई मशीन, कूलर आदि बनाने की फैक्ट्री	4,000.00	5	पंखा, सिलाई मशीन, कूलर आदि बनाने की फैक्ट्री	10,000.00
6	एयर कंडिशनर बनाने की फैक्ट्री	7,000.00	6	एयर कंडिशनर बनाने की फैक्ट्री	10,000.00
7	आइसक्रीम फैक्ट्री	2,000.00	7	आइसक्रीम फैक्ट्री	3,000.00
8	कोल्ड स्टोर	7,000.00	8	कोल्ड स्टोर	15,000.00
9	दवा का कारखाना	4,000.00	9	दवा का कारखाना	10,000.00
10	केमिकल कारखाना	4,000.00	10	केमिकल कारखाना	5,000.00
11	गैस भरने की फैक्ट्री	4,000.00	11	गैस भरने की फैक्ट्री	20,000.00
12	खाद, तेल व दाल मिल	4,000.00	12	खाद, तेल व दाल मिल	7,000.00
13	राइस मिल	4,000.00	13	राइस मिल	6,000.00
14	पालेसर	2,000.00	14	पालेसर	2,000.00
15	जूट, सन, प्लास्टिक, नायलान बनाने का कारखाना	2,000.00	15	जूट, सन, प्लास्टिक, नायलान बनाने का कारखाना	4,000.00
16	खाण्डसारी/सल्फर प्लान्ट	4,000.00	16	खाण्डसारी/सल्फर प्लान्ट	5,000.00
17	चीनी मिल	7,000.00	17	चीनी मिल	10,000.00
18	दूध का पाउडर तथा अन्य सामान बनाने का कारखाना	2,000.00	18	दूध का पाउडर तथा अन्य सामान बनाने का कारखाना	3,000.00
19	दफ्ती तथा कागज बनाने का कारखाना	2,000.00	19	दफ्ती तथा कागज बनाने का कारखाना	5,000.00
20	रबड़ की वस्तुयें बनाने का कारखाना	2,000.00	20	रबड़ की वस्तुयें बनाने का कारखाना	3,000.00
21	शीशा बनाने का कारखाना	2,000.00	21	शीशा बनाने का कारखाना	3,000.00
22	पिपरमिंट बनाने का कारखाना	2,000.00	22	पिपरमिंट बनाने का कारखाना	2,500.00

42 दि. ग.-6B

(49)

1	2	3	1	2	3
		रु0			रु0
23	बिस्कुट, डबलरोटी का कारखाना	2,000.00	23	बिस्कुट, डबलरोटी का कारखाना	2,000.00
24	मार्बल तथा टाइल्स का कारखाना	2,000.00	24	मार्बल तथा टाइल्स का कारखाना	5,000.00
25	हार्डबोर्ड तथा प्लाई वुड की फैक्ट्री	4,000.00	25	हार्डबोर्ड तथा प्लाई वुड की फैक्ट्री	6,000.00
26	शीतल पेय का बाटलिंग प्लान्ट	4,000.00	26	शीतल पेय का बाटलिंग प्लान्ट	10,000.00
			27	पी0बी0सी0 बोरिंग पाइपें का कारखाना	5,000.00
			28	चमड़ा टेनरी का कारखाना	15,000.00
			29	जैविक कारखाना	5,000.00
			30	मैदा मिल	10,000.00
			31	सीमेंट ईंट/इण्टरलाक ब्रिक बनाने व विक्रय	10,000.00
			32	सीमेंट, ह्यूम पाइप	5,000.00
			33	प्लास्टिक कटिंग/गत्ता प्रेस	5,000.00
			34	लेदर बोर्ड का कारखाना	5,000.00
			35	मुर्गी दाना कारखाना	3,000.00
			36	बैट्री बनाने का कारखाना/सिलेण्डर क्लिक व कटिंग	5,000.00
			37	अपर सिलाई व डाई/कॉटा बांट डिस्पोजल गिलास चप्पल बनाने का कारखाना	5,000.00
			38	पेट्रोल पम्प का टैंक बनाने का कारखाना	10,000.00
			39	बैग, बेल्ट जाकेट, लेदर चप्पल, घोड़े का साज बनाने का कारखाना	10,000.00
			40	कपड़ा रंगाई, सरेस बनाने व पानी के पाउच बनाने का कारखाना	5,000.00
			41	पत्थर पिसाई, कल्टीवेटर, ट्राली बनाने का कारखाना	5,000.00
			42	कमानी बनाने का कारखाना	10,000.00
			43	सोल इन सोल कपड़ा धोने का पाउडर, सर्मोसन का कारखाना	5,000.00
			44	विभिन्न उत्पादों के स्टोर व गोदाम आदि	10,000.00
			45	हड्डी पिसाई बायोप्रोडक्ट मोबिल आयल रिफाइनरी ग्रेवियर प्रिंटिंग, जूट के सद्दे तिरपाल पशुचारा पशुआहार	5,000.00
			46	रेडीमेड गारमेंट कारखाना	10,000.00
			47	फोम के गद्दे का कारखाना	10,000.00
			48	सिवईं बनाने का कारखाना	3,000.00
			49	सटरिंग कार्य	2,000.00

1	2	3	1	2	3
					रु0
			50	मिक्सचर मशीन, स्लेप कार्य	2,000.00
			51	बूंदी बनाने का कार्य	1,500.00
			52	दालमोठ बनाने का कार्य	1,000.00
			53	पेठा बनाने का कार्य	2,000.00
			54	टेरीकाट, सूती कपड़ा बनाने का कार्य	10,000.00
			55	कत्था बनाने का कार्य	7,000.00
			56	स्लाटर हाउस	25,000.00
			57	[illegible]	[illegible]
			58	लोहे की पत्ती व तार	10,000.00
			59	थर्माकोल फैक्ट्री	10,000.00
			60	पुराने टायर से तेल व रिफायनरी निकालने का कार्य	5,000.00
			61	कम्प्यूटर कागज कटिंग एवं प्रिंटिंग गत्ता बाक्स, प्लास्टिक बोतल पोया आदि	7,000.00
			62	लोहे का दरवाजा आलमारी	5,000.00
			63	आटा मिल नूडल आदि की फैक्ट्री	5,000.00
			64	फिनायल बनाने की फैक्ट्री	5,000.00
			65	कागज बनाने की फैक्ट्री	20,000.00
			66	स्टील के बर्तन बनाने का कार्य	10,000.00
			67	कास्ट आयरन धुलाई कैलेण्डर छपाई	8,000.00
			68	ट्रान्सफार्मर रिपेयरिंग	5,000.00
			69	ट्रान्सफार्मर फैक्ट्री	10,000.00
			70	बर्तन स्टैम्प जाली	5,000.00
			71	सूखा रंग डाई बनाने का कार्य	5,000.00
			72	हैण्डमेड पेपर पेन नायलान चप्पल फोमीकोल डाई बनाना	5,000.00
			73	पुष्टाहार बनाने का कारखाना	10,000.00
			74	अन्य छोटे पैमाने का कारखाना (रु0 5.00 लाख से 20.00 लाख तक लागत से स्थापित एवं संचालित) रु0 20.00 लाख से अधिक लागत से स्थापित एवं संचालित	10,000.00 20,000.00

प्रचलित उपनियम	संशोधन/संवर्धित उपनियम
16घ–उक्त नियम 16 (क) (ख) के अन्तर्गत आटा चक्कियों आदि के मालिकों तथा प्रबन्धकों तथा फैक्ट्रियों कारखानों औद्योगिक संस्थानों के मालिकों या प्रबन्धकों को लाइसेंस वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के 30 दिन के अन्दर अर्थात 30 अप्रैल तक प्राप्त कर लेना होगा अन्यथा आटा मिलो आदि के मालिकों या प्रबन्धकों को 500 रु0 तक 25 रु0 एवं 500 रु0 से अधिक पर 100 रु0 विलम्ब शुल्क अदा करने के उपरान्त लाइसेंस दिया जायेगा। जिसकी विलम्ब शुल्क की अवधि 01 मई से प्रारम्भ होगी।	16घ–उक्त नियम 16 (क) (ख) के अन्तर्गत आटा चक्कियों आदि के मालिकों तथा प्रबन्धकों तथा फैक्ट्रियों कारखानों औद्योगिक संस्थानों के मालिकों या प्रबन्धकों को लाइसेंस वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने के 30 दिन के अन्दर अर्थात् 30 अप्रैल तक प्राप्त कर लेना होगा। आटा मिलों आदि के मालिकों या प्रबन्धकों को 500 रु0 तक 25 रु0 एवं 500 रु0 से 2000 रु0 पर 50 रु0 2000 रु0 से अधिक पर 100 रु0 विलम्ब शुल्क अदा करने के उपरान्त लाइसेंस दिया जायेगा। मिल/फैक्ट्री व्यवसाइयों को रु0 300.00 प्रतिमाह विलम्ब शुल्क अदा करने के उपरान्त लाइसेंस का नवीनीकरण किया जायेगा।

सं0 962/21ए-15/(2016-17)–उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 143 के साथ पठित धारा 145 एवं 239 (2) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्रों की दुकानों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से प्रचलित उपविधि की धारा 2 में संशोधन/संवर्धन किया गया है। जिसकी पुष्टि आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ से होने के उपरान्त गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

यथा संशोधित प्रचलित उपविधि की धारा 2 में निम्न संशोधन/संवर्धन किया गया है–

प्रचलित उपनियम	संशोधन/संवर्धित उपनियम
धारा 2 लाइसेंस प्राप्त करने के लिये प्राप्तकर्ताओं को निम्न तालिका में उल्लिखित व्यवसायों व दुकानों के सम्मुख अंकित धनराशि लाइसेंस शुल्क के रूप में अदा करनी होगी।	धारा 2 लाइसेंस प्राप्त करने के लिये प्राप्तकर्ताओं को निम्न तालिका में उल्लिखित व्यवसायों व दुकानों के सम्मुख अंकित धनराशि लाइसेंस शुल्क के रूप में अदा करनी होगी।

क्र0 सं0	व्यवसाय का नाम	धनराशि जो लाइसेंस प्राप्त करने के बदले अदा करनी होगी	क्र0 सं0	व्यवसाय का नाम	धनराशि जो लाइसेंस प्राप्त करने के बदले अदा करनी होगी
1	2	3	1	2	3
		रु0			रु0
1	रेडीमेड कपड़े होजरी अन्य कपड़े की फुटकर दुकान	75.00	1	रेडीमेड कपड़े होजरी अन्य कपड़े की फुटकर दुकान	300.00
2	परचून व खाद्य सामग्री की दुकान	75.00	2	परचून व खाद्य सामग्री की दुकान	300.00
3	हलवाई या मीठा गुड़ की दुकान	75.00	3	हलवाई या मीठा गुड़ की दुकान	300.00
4	होटल/ढाबा	200.00	4	होटल/ढाबा	1,000.00
5	चाट की दुकान	75.00	5	चाट की दुकान	300.00
6	इमारती लकड़ी, फर्नीचर, पलंग आदि सामान बनाने या व्यवसाय की दुकान	150.00	6	इमारती लकड़ी, फर्नीचर, पलंग आदि सामान बनाने या बेचने की दुकान	500.00
7	इमारती लोहे की दुकान	150.00	7	इमारती लोहे की दुकान	[illegible]
8	चमड़ा प्लास्टिक आदि जूते चप्पल की दुकान	100.00	8	चमड़ा प्लास्टिक आदि जूते चप्पल की दुकान	[illegible]

1	2	3	1	2	3
		रु0			रु0
9	गल्ले के व्यवसाय की दुकान	100.00	9	गल्ले के व्यवसाय की दुकान	300.00
10	पीतल के बर्तन, कसकुट, गीलट, स्टील, एल्युमिनियम के बर्तन आदि की दुकान	150.00	10	पीतल के बर्तन, कसकुट, गीलट, स्टील, एल्मुनियम के बर्तन आदि की दुकान	400.00
11	लोहे के बर्तन व औजारों आदि की दुकान	75.00	11	लोहे के बर्तन व औजारों आदि की दुकान	300.00
12	कपड़े की थोक दुकान	300.00	12	कपड़े की थोक दुकान	600.00
13	सोना, चांदी के आभूषण की दुकान	300.00	13	सोना, चांदी के आभूषण की दुकान	500.00
14	लोहे, गिलट, कस्कुट के आभूषणों व घुंघरू रस्सी की दुकान	300.00	14	लोहे, गिलट, कस्कुट के आभूषणों व घुंघरू रस्सी की दुकान	300.00
15	स्टेशनरी की दुकान	75.00	15	स्टेशनरी की दुकान	300.00
16	देशी कमरी, टाट पदटी हथकरघा कपड़ा की दुकान	75.00	16	देशी कमरी, टाट पदटी हथकरघा कपड़ा की दुकान	300.00
17	दरी, कम्बल, कालीन की दुकान	150.00	17	दरी, कम्बल, कालीन की दुकान	500.00
18	लकड़ी की टाल या कोयले की दुकान	150.00	18	लकड़ी की टाल या कोयले की दुकान	500.00
19	नई साइकिल विक्रय की दुकान	150.00	19	नई साइकिल विक्रय की दुकान	500.00
20	साइकिल मरम्मत व्यवसाय या फुटकर पुर्जों के विक्रय की दुकान	75.00	20	साइकिल मरम्मत व्यवसाय या फुटकर पुर्जों के विक्रय की दुकान	200.00
21	विलासखना, चूड़ी, कंघी, क्राकरी, ताला, चाकू, जनरल स्टोर तथा प्लास्टिक के अन्य सामान की दुकान	75.00	21	विलासखना, चूड़ी, कंघी, क्राकरी, ताला, चाकू, जनरल स्टोर तथा प्लास्टिक के अन्य सामान की दुकान	300.00
22	सिंचाई इंजन, कृषि मशीनों तथा उनके पुर्जों व पार्ट विक्रय की दुकान	250.00	22	सिंचाई इंजन, कृषि मशीनों तथा उनके पुर्जों व पार्ट विक्रय की दुकान	500.00
23	बीड़ी, सिगरेट, पान व तम्बाकू की दुकान	50.00	23	बीड़ी, सिगरेट, पान व तम्बाकू की दुकान	200.00
24	घड़ी साज की दुकान	50.00	24	घड़ी साज की दुकान	200.00
25	रेडियो, लाउडस्पीकर, बिजली के सामान विक्रय तथा मरम्मत की दुकान	75.00	25	रेडियो, लाउडस्पीकर, बिजली के सामान विक्रय तथा मरम्मत की दुकान	300.00
26	हेयर कटिंग की दुकान	30.00	26	हेयर कटिंग की दुकान	200.00
27	टेलरिंग की दुकान	50.00	27	टेलरिंग की दुकान	300.00
28	हैवी लाइट व्हीकल ट्रैक्टर, मोटा साइकिल के टायर व पुर्जे के बिक्री तथा मरम्मत की दुकान	75.00	28	हैवी लाइट व्हीकल ट्रैक्टर, मोटा साइकिल के टायर व पुर्जे के बिक्री तथा मरम्मत की दुकान	500.00
29	वस्त्र रंगाई व छपाई की दुकान	60.00	29	वस्त्र रंगाई व छपाई की दुकान	200.00

1	2	3
		रु0
30	देशी वनस्पति घी कड़वे तेल व अन्य खाद्य तेलों की दुकान	75.00
31	खोया उत्पादन	75.00
32	खोया विक्रेता	75.00
33	चूरा, लाई, मूंगफली, गट्टा, खिलौना, बिस्कुट व पट्टी की दुकान	75.00
34	बेंत, बांस, बल्ली तथा लट्ठों व लाठी की दुकान	75.00
35	साग, सब्जी, भाजी तथा फल की दुकान	50.00
36	(अ) जनपद के अन्दर दूध विक्रय व व्यवसाय के लिये	100.00
	(ब) जनपद के बाहर दूध विक्रय व व्यवसाय के लिये	100.00
37	बालू, मोरंग, सीमेंट, चूरा, सुर्खी व पेंट की दुकान	150.00
38	पेट्रोल/डीजल पम्प	2,000.00
39	मोबिल/आयल विक्रय की दुकान	500.00
40	प्रिंटिंग प्रेस	300.00
41	मेडिकल प्रैक्टिशनर	200.00
42	मेडिकल स्टोर	200.00
43	खाद की दुकान	200.00
44	इलेक्ट्रोस्टेट/फोटो कापी	100.00
45	पी0सी0ओ0	100.00
46	टेप रिकार्डर, टी0वी0 आद इले0 सामान क क्रय विक्रय की दुकान	100.00
47	मोटर साइकिल, स्कूटर मरम्मत की दुकान	100.00
48	ट्रैक्टर/जीप कार/ट्रक आदि मरम्मत की दुकान	150.00
49	टायर ट्यूब की मरम्मत पंचर हवा की दुकान	100.00
50	कबाड़ी की दुकान	250.00
51	इंजीनियरिंग वर्क्स	200.00
52	इलेक्ट्रिक वेल्डिंग	200.00
53	गैस वेल्डिंग	200.00
54	कृषि बीज तथा दवा की दुकान	100.00

1	2	3
		रु0
30	देशी वनस्पति घी कड़वे तेल व अन्य खाद्य तेलों की दुकान	300.00
31	खोया उत्पादन	300.00
32	खोया विक्रेता	250.00
33	चूरा, लाई, मूंगफली, गट्टा, खिलौना, बिस्कुट व पट्टी की दुकान	300.00
34	बेंत, बांस, बल्ली तथा लट्ठों व लाठी की दुकान	300.00
35	साग, सब्जी, भाजी तथा फल की दुकान	300.00
36	(अ) जनपद के अन्दर दूध विक्रय व व्यवसाय के लिये	500.00
	(ब) जनपद के बाहर दूध विक्रय व व्यवसाय के लिये	500.00
37	बालू, मोरंग, सीमेंट, चूरा, सुर्खी व पेंट की दुकान	1,000.00
38	पेट्रोल/डीजल पम्प	5,000.00
39	मोबिल/आयल विक्रय की दुकान	1,000.00
40	प्रिंटिंग प्रेस	1,000.00
41	मेडिकल प्रैक्टिशनर	1,000.00
42	मेडिकल स्टोर	500.00
43	खाद की दुकान	500.00
44	इलेक्ट्रोस्टेट/फोटो कापी	500.00
45	पी0सी0ओ0	200.00
46	टेप रिकार्डर, टी0वी0 आद इले0 सामान क क्रय विक्रय की दुकान	500.00
47	मोटर साइकिल, स्कूटर मरम्मत की दुकान	300.00
48	ट्रैक्टर/जीप कार/ट्रक आदि मरम्मत की दुकान	500.00
49	टायर ट्यूब की मरम्मत पंचर हवा की दुकान	200.00
50	कबाड़ी की दुकान	1,000.00
51	इंजीनियरिंग वर्क्स	500.00
52	इलेक्ट्रिक वेल्डिंग	500.00
53	गैस वेल्डिंग	300.00
54	कृषि बीज तथा दवा की दुकान	500.00

1	2	3	1	2	3
		रु०			रु०
55	सीमेंट, जाली पाइप आदि की दुकान	100.00	55	सीमेंट, जाली पाइप आदि की दुकान	500.00
56	लोहे के बक्से, ट्राली, थ्रेशर की दुकान	300.00	56	लोहे के बक्से, ट्राली, थ्रेशर की दुकान	1,000.00
57	गैस एजेन्सी	500.00	57	गैस एजेन्सी	5,000.00
58	नल बोरिंग की दुकान	100.00	58	नल बोरिंग की दुकान	500.00
59	बैट्री मरम्मत/चार्जर/बिक्री की दुकान	100.00	59	बैट्री मरम्मत/चार्जर/बिक्री की दुकान	500.00
60	मिट्टी के तेल/फुटकर डीजल की दुकान	250.00	60	मिट्टी के तेल/फुटकर डीजल की दुकान	500.00
61	सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान	300.00	61	सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान	300.00
62	ठेका देशी शराब/विदेशी शराब/भांग		62	ठेका देशी शराब/विदेशी शराब/भांग	
	(क) देशी शराब	750.00		(क) देशी शराब	1,500.00
	(ख) विदेशी शराब	1,000.00		(ख) विदेशी शराब	2,000.00
	(ग) बियर	500.00		(ग) बियर	1,000.00
	(घ) भांग	300.00		(घ) भांग	500.00
63	टैन्ट हाउस	300.00	63	टैन्ट हाउस	1,000.00
64	लाइट एण्ड साउन्ड सर्विस	100.00	64	लाइट एण्ड साउन्ड सर्विस	500.00
65	फोटो स्टूडियो/फोटो फ्रेमिंग	100.00	65	फोटो स्टूडियो/फोटो फ्रेमिंग	500.00
66	लाण्ड्री की दुकान	100.00	66	लाण्ड्री की दुकान	500.00
67	पेय पदार्थ लस्सी/शर्बत/कोल्ड ड्रिंक	150.00	67	पेय पदार्थ लस्सी/शर्बत/कोल्ड ड्रिंक	500.00
68	बिस्कुट, डबल रोटी आदि निर्माता विक्रेता	200.00	68	बिस्कुट, डबल रोटी आदि निर्माता विक्रेता	1,000.00
69	डेन्टिंग एण्ड पेन्टिंग की दुकान	100.00	69	डेन्टिंग एण्ड पेन्टिंग की दुकान	500.00
70	आतिशबाजी विक्रेता/निर्माता	200.00	70	आतिशबाजी विक्रेता/निर्माता	500.00
71	तम्बाकू की दुकान	100.00	71	तम्बाकू की दुकान	200.00
72	सिनेमा अस्थाई	100.00	72	सिनेमा अस्थाई	500.00
73	सिनेमा स्थाई	1,500.00	73	सिनेमा स्थाई	1,500.00
74	सिनेट्री फिटिंग	100.00	74	सिनेट्री फिटिंग	500.00
75	भूसा चारा/चूनी भूसी व खली	50.00	75	भूसा चारा/चूनी भूसी व खली	250.00
76	बैंडबाजा	150.00	76	बैंडबाजा	300.00
77	कुल्फी, बर्फ, आइसक्रीम	150.00	77	कुल्फी, बर्फ, आइसक्रीम	200.00
78	पोल्ट्री फार्म	250.00	78	पोल्ट्री फार्म	1,000.00
79	डेरी फार्म	200.00	79	डेरी फार्म	500.00
80	नर्सरी फार्म	150.00	80	नर्सरी फार्म	500.00
81	धर्मकांटा	500.00	81	धर्मकांटा	1,000.00

(46)

1	2	3	1	2	3
		रु0			रु0
82	नर्सिंग होम	500.00	82	नर्सिंग होम	2,000.00
83	कम्प्यूटर एजूकेशन सेंटर	500.00	83	कम्प्यूटर एजूकेशन सेंटर	1,000.00
84	सोना, चांदी आभूषण की मरम्मत आदि	100.00	84	सोना, चांदी आभूषण की मरम्मत आदि	500.00
85	वाहनों की एजेन्सी वितरक	500.00	85	वाहनों की एजेन्सी वितरक	1,000.00
86	किराना वस्तुओं की एजेन्सी	500.00	86	किराना वस्तुओं की एजेन्सी	1,000.00
87	ब्यूटी पार्लर	200.00	87	ब्यूटी पार्लर	500.00
88	कोयला उत्पादन एवं विक्रय की दुकान	500.00	88	कोयला उत्पादन एवं विक्रय की दुकान	1,000.00
89	बकरा विक्रय, मांस आदि की दुकान	100.00	89	बकरा विक्रय, मांस आदि की दुकान	1,000.00
90	मछली विक्रय	100.00	90	मछली विक्रय	200.00
91	महुआ क्रय विक्रय दुकान	200.00	91	महुआ क्रय विक्रय दुकान	200.00
92	थोक गुड़ विक्रय	200.00	92	थोक गुड़ विक्रय	500.00
93	गल्ला के थोक आढ़ती	300.00	93	गल्ला के थोक आढ़ती	2,000.00
94	लोहा कबाड़ का गोदाम	1,000.00	94	लोहा कबाड़ का गोदाम,	1,500.00
95	रेस्टोरेन्ट	500.00	95	रेस्टोरेन्ट	1,000.00
96	गैस गोदाम	500.00	96	गैस गोदाम	5,000.00
97	लाज, गेस्ट हाउस	2,000.00	97	लाज, गेस्ट हाउस	2,000.00
98	आम फुटकर विक्रय	300.00	98	आम फुटकर विक्रय	500.00
			99	साइबर कैफे	500.00
			100	केबिल आपरेटर जो ग्रामीण क्षेत्र में संचार सुविधा पहुंचाते है	500.00
			101	सी0डी0 / डी0वी0डी0 विक्रय, लाईब्रेरी की दुकान	500.00
			102	पॉलिटेक्निक कालेज	10,000.00
			103	इण्टर कालेज	10,000.00
			104	सामान्य प्राइवेट स्कूल	5,000.00
			105	डिग्री कालेज	1,000.00
			106	मेडिकल कालेज	15,000.00
			107	मोटर कार, जीप, ट्रक, मेटाडोर, ट्रैक्टर आदि के शोरूम	10,000.00
			108	इन्जीनियरिंग कालेज, एम0बी0ए0, एम0सी0ए0, बी0 टेक आदि	15,000.00
			109	टायर एजेन्सी	2,000.00
			110	अन्य व्यवसाय जो सूची में उल्लिखित नहीं है।	300.00

सं0 963/21ए-16/(2016-17)—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 की धारा 143 के साथ पठित धारा 145 एवं 239 (2) के अन्तर्गत जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों गिट्टी, कोयला बजरी, भस्सी, खारों से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले बाहर व्यवसायिक उद्देश्य से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन यथा ट्रैक्टर ट्राली, मिनी ट्रक डम्पर पशु गाड़ी या मानव चालित नौका को नियंत्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि बनायी गयी है। यह गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी मानी जायेगी।

उपविधियां

1—यह उपविधि, जिला पंचायत, उन्नाव अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों गिट्टी कोयला, बजरी भस्सी, खारों से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले के बाहर व्यावसायिक उद्देश्य से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन यथा ट्रैक्टर ट्राली, मिनी ट्रक, डम्पर, पशु गाड़ी या मानव चालित नौका को नियंत्रित एवं विनियमित करने की उपविधि कही जायेगी।

2—परिभाषायें—इन उपविधियों में—

(2.1) "अधिनियम" का तात्पर्य उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) है;

(2.2) "जिला पंचायत" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17 (1) के अनुसार संगठित जिला पंचायत से है;

(2.3) "ग्रामीण क्षेत्र" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 2 (10) में परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र से है;

(2.4) "अध्यक्ष" का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, उन्नाव से है;

(2.5) "अपर मुख्य अधिकारी" का तात्पर्य जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी से है;

(2.6) "सार्वजनिक मार्ग" का तात्पर्य उस सड़क, पुल, सामान्य मार्ग, रास्ते या स्थान से है जिस पर होकर आने जाने का जन साधारण को विधि द्वारा प्रवर्तनीय अधिकार प्राप्त हो और जो सरकार या स्थानीय प्राधिकारी जिसके अन्तर्गत ग्राम पंचायत भी हैं, में निहित हो या उसके, द्वारा अनुरक्षित हो।

(2.7) "नदी मार्ग" का तात्पर्य प्राकृतिक नदी का आवागमन के लिये प्रयोग से है;

(2.8) "पशु गाड़ी" का तात्पर्य बैल या भैंसा या ऊंट या घोड़ा या खच्चर द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ियों से है;

(2.9) "स्थान" का तात्पर्य उस स्थल से है जो कि किसी सार्वजनिक मार्ग या नदी मार्ग पर शुल्क वसूली हेतु सुविधानुसार अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा नियत किया जाये।

(2.10) "शुल्क" का तात्पर्य इस उपविधि के क्रमांक-6 द्वारा निर्धारित शुल्क से है;

3—यह उपविधियां ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उसके तट, नालों, पोखरों, क्वेरीज आदि से खनिजों को लेने, एकत्रित करने या व्यावसायिक दृष्टि से सार्वजनिक मार्ग/नदी मार्ग से खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों के चालकों या मालिकों पर लागू होगी।

4—कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था आदि जनपद उन्नाव के ग्रामीण क्षेत्र या अन्य जनपद के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मौरंग, रेत या अन्य खनिजों गिट्टी कोयला, बजरी, भस्सी, खारों से निकलने वाली मिट्टी को एकत्रित करने या श्रमिकों द्वारा एकत्रित कराकर व्यावसायिक उद्देश्य से सार्वजनिक सड़क या नदी मार्ग से परिहवन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन तथा ट्रैक्टर ट्राली, मिनी ट्रक, डम्पर, बैलगाड़ी, ऊंट गाड़ी, घोड़ा गाड़ी या मानव चालित नौका से परिवहन करेगा तो उसको जिला पंचायत उन्नाव द्वारा निर्धारित शुल्क अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत उन्नाव द्वारा निर्धारित स्थल पर जिला पंचायत द्वारा नियुक्त कार्मिक अथवा ठेकेदार को अदा करना होगा।

5—जिला पंचायत शुल्क वसूली अपने कर्मचारियों द्वारा या अपने ठेकेदार द्वारा करा सकती है। ठेके की अवधि सामान्यतः वित्तीय वर्ष की होगी जो किसी वर्ष की 01 अप्रैल से प्रारम्भ होकर अनुवर्ती वर्ष के 31 मार्च तक होगी।

6–जिला पंचायत उन्नाव द्वारा लिये जाने वाले शुल्क की दरें निम्न प्रकार होंगी–

(1) पशुओं द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी	रु0 10.00 प्रति फेरी
(2) मानव चालित नाव	रु0 20.00 प्रति फेरी
(3) ट्रैक्टर ट्राली	रु0 50.00 प्रति फेरी
(4) ट्रक–	
[क] मिनी ट्रक (लाइट गुड्स विहिकिल्स)	रु0 100 प्रति फेरी
[ख] ट्रक (लाइट गुड्स विहिकिल्स 6 चक्का)	रु0 150 प्रति फेरी
[ग] भारी ट्रक (हैवी गुड्स विहिकिल्स 10 चक्का या अधिक)	रु0 200 प्रति फेरी

7–उपविधि द्वारा निर्धारित शुल्क में 15 प्रतिशित की बढ़ोत्तरी प्रत्येक 3 वर्ष के अन्तराल पर की जायेगी। जिस वित्तीय वर्ष में उपविधि लागू होगी गणना हेतु वह पूर्ण वित्तीय वर्ष माना जायेगा। बढ़ोत्तरी की गणना करने पर जो धनराशि आयेगी उसे दहाई के पूर्णांक में परिवर्तित कर दिया जायेगा।

8–यदि शुल्क वसूली का ठेका दिया जाना है तो खुली सार्वजनिक नीलामी या सील्ड टेण्डर पद्धति से दिया जायेगा जिसका प्रचार राष्ट्रीय स्तर के दो हिन्दी दैनिक प्रचलित समाचार-पत्रों (जिसकी प्रतियां सर्वाधिक प्रकाशित होती हों) में विज्ञप्ति प्रकाशित करके किया जायेगा तथा यह सूचना जनपद या राज्य सरकार या जिला पंचायत की वेब साइट पर अपलोड की जायेगी जिसके अधीन टेण्डर फार्म डाउनलोड करने की भी सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी।

9–पंचायतीराज अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या 819/33-2-2007-190जी/07, दिनांक 10 अप्रैल, 2007 के अनुसार ठेके में भाग लेने वाले व्यक्ति को जिलाधिकारी द्वारा जारी चरित्र प्रमाण-पत्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

10–ठेके की धनराशि रु0 1 करोड़ तक होने की स्थिति में पूरी धनराशि एकमुश्त जमा करना अनिवार्य होगा। रु0 1 करोड़ से अधिक धनराशि की स्थिति में रु0 1 करोड की धनराशि तत्काल जमा की जायेगी इससे ऊपर की शेष धनराशि रु0 2 समान किस्तों में जमा की जा सकती है। जिसकी प्रथम किस्त 30 जून तक एवं द्वितीय किस्त 30 सितम्बर तक जमा करनी होगी किस्त जमा न करने पर ठेका निरस्त एवं जमा धनराशि जब्त हो जायेगी एवं पुनः ठेके छोड़ने में यदि जिला पंचायत को कोई क्षति होती है तो वह उसकी वसूली ठेकेदार से की जायेगी।

11–ठेकेदार को ठेका स्वीकार होने पर निर्धारित मूल्य के स्टाम्प पर अनुबंध कराना अनिवार्य होगा।

12–जिला पंचायत उन्नाव के अपर मुख्य अधिकारी के द्वारा अधिकृत कार्मिक/ठेकेदार द्वारा शुल्क प्राप्त करने के उपरान्त शुल्कदाता को जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी मुद्रित एवं क्रमांक युक्त सह हस्ताक्षरित रसीद देना अनिवार्य होगा। रसीद के प्रतिपर्ण को जिला पंचायत में वापस करना अनिवार्य होगा।

13–ठेकेदार वसूली स्थल पर सहज दृश्य स्थान पर एक 6 X 4 का रेट बोर्ड कार्य प्रारम्भ करने से पहले लगाना अनिवार्य होगा।

14–इस रेट बोर्ड में वसूली स्थल का नाम, ठेकेदार का नाम व पता, ठेके की अवधि एवं ठेकेदार का मोबाइल नं0 लिखना अनिवार्य होगा।

15–ठेकेदार द्वारा वसूली में लगाये गये कार्मिकों को अपर मुख्य अधिकारी द्वारा एक फोटो युक्त पहचान-पत्र जारी कराया जायेगा जो कि उन कार्मिकों को प्रदर्शित करना होगा। शुल्क वसूली में लगाये कार्मिकों की सूची अपर मुख्य अधिकारी द्वारा संबंधित पुलिस थाने को उपलब्ध करानी होगी।

16–शुल्क वसूली का कार्य ठेके पर किये जाने की दशा में ठेकेदार को रसीद बही रखनी होगी जिसको जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी के मांगे जाने पर दिखाना अनिवार्य होगा।

17–ठेके की नीलामी एक 03 सदस्यीय नीलाम समिति द्वारा की जायेगी जिसमें अपर मुख्य अधिकारी कार्य अधिकारी या अभियन्ता, वित्तीय परामर्शदाता या जिलाधिकारी द्वारा नामित सदस्य होंगे।

18–ठेका स्वीकार करने का अधिकार नीलाम समिति की संस्तुति पर अध्यक्ष जिला पंचायत को होगा। यदि किसी प्रकरण में नीलाम समिति की संस्तुति एवं अध्यक्ष जिला पंचायत में मत भिन्नता है या नीलाम समिति की संस्तुति के प्राप्त होने के 1 सप्ताह में निस्तारण नहीं होता है तो प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी द्वारा मण्डलायुक्त को संदर्भित कर दिया जायेगा। जिनका निर्णय अन्तिम एवं बाध्यकारी होगा।

19–ठेके की अवधि में ठेके की शर्तों एवं उपविधि के अनुपालन की जांच जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, अभियन्ता, कर अधिकारी एवं कर/राजस्व निरीक्षक द्वारा की जा सकेगी। जांच में प्रतिकूल तथ्य पाये जाने पर ठेकेदार से स्पष्टीकरण मांगा जायेगा तथा संतोषजनक स्पष्टीकरण न होने पर नीलाम समिति की संस्तुति पर अपर मुख्य अधिकारी द्वारा ठेका निरस्त करने की कार्यवाही प्रस्तावित की जायेगी तथा अन्तिम निर्णय अध्यक्ष, जिला पंचायत उन्नाव का होगा, जो कि उभय पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

20–गम्भीर अनियमितताओं की स्थिति में ठेका निरस्त किये जाने पर जमा धनराशि जब्त की जायेगी एवं पुनः ठेके किये जाने पर यदि जिला पंचायत को आर्थिक कोई क्षति होती है तो उसकी क्षतिपूर्ति ठेकेदार से की जायेगी।

21–वसूली स्थल अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उन्नाव के द्वारा सार्वजनिक मार्ग/नदी मार्ग पर ऐसे स्थान पर नियत किये जायेंगे जहां पर कि यातायात अवरुद्ध न हो। वसूली स्थल पर गाड़ियों को रोकने हेतु किसी प्रकार का बैरियर या रस्सी का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

22–वसूली स्थल पर ठेकेदार को पर्याप्त सफाई, पेयजल, रोशनी की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा।

23–इन उपविधियों के अनुसार बालू, मौरंग रेत या अन्य खनिजों गिट्टी, कोयला बजरी, भरसी, खारों से निकलने वाली मिट्टी के अभिवहन के समय मालिक/वाहन चालक/पशुगाड़ी/नाव चालक के द्वारा शुल्क न देने या जांच के समय प्रमाण स्वरूप शुल्क की रसीद न दिखाने पर ऐसा समझा जायेगा कि नियत शुल्क की अदायगी नहीं की गयी है और ऐसे व्यक्ति का वसूली हेतु नियत जिला पंचायत कार्मिक/ठेकेदार की आख्या पर चालान की कार्यवाही कर दी जायेगी।

24–जिला पंचायत उन्नाव को इन उपविधियों के प्रभावी होने पर शुल्क की वसूली में से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में कुल हुई आय का 15 प्रतिशत अंश अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में राज्य सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग को एवं 5 प्रतिशत पर्यावरण संरक्षण संबंधी कार्यों हेतु वन विभाग को हस्तान्तरित करना अनिवार्य होगा। तदर्थ संबंधित विभाग अपनी कार्य योजना जिला पंचायत उन्नाव को प्रस्तुत करेंगे तथा जिला पंचायत द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि का उपभोग उसी वित्तीय वर्ष में करते हुये कार्यपूर्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगें।

25–जिला पंचायत उन्नाव को इन उपविधियों के प्रभावी होने पर शुल्क की वसूली में से किसी विशेष वित्तीय वर्ष में कुल हुई आय का 20 प्रतिशत अंश अनुवर्ती वित्तीय वर्ष में निर्धारित वसूली स्थल से संबंधित विकास खण्ड में जन विकास कार्यों में जिला पंचायत द्वारा व्यय किया जायेगा।

दण्ड

जिला पंचायत उन्नाव उ०प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 240 के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये निर्देश देती है कि कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, पार्टनरशिप फर्म या संस्था इन उपविधियों को या उपविधि के किसी अंश का उल्लंघन करेगा/करेगी वह अर्थ दण्ड से दण्डनीय होगा जो रु0 1,000 (एक हजार रुपये) तक हो सकेगा और जब ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा जो प्रथम दोष सिद्ध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिये जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है रु0 50.00 (पचास रुपये) प्रतिदिन होगा, अथवा यदि अर्थदण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डनीय होगा जो तीन मास तक हो सकेगा।

भुवनेश कुमार,
आयुक्त,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

पी०एस०यू०पी०–42 हिन्दी गजट–भाग 3–2017 ई०।
मुद्रक एवं प्रकाशक–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।